

Order sheet [Contd]

case No. **mjc 3 / 2018** इजरा

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
31.01.2018	<p>प्र०कं० 19 / 14 एम०जे०सी० पुराना कं० एम०जे०सी० 02 / 2001 इजरा आवेदक/बीमा कम्पनी द्वारा श्री आर०के० वाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित। डिक्रीदार कम्पनी की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा 151 जा०दी० का प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया गया है कि यह प्रकरण वाहनस्वामी से राशि वसूल करने के संबंध में है, परन्तु यह प्रकरण एम०जे०सी० में त्रुटि से दर्ज हो गया है। प्रकरण को एम०जे०सी० से निरस्त किया जाकर इजरा में दर्ज किया जावे। डिक्रीदार को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि क्लेम प्र०कं० 15 / 95 उनवान श्रीमती रामवती एवं अन्य बनाम सतीश गुप्ता एवं अन्य में पारित अधिनिर्णय दि० 29.04.1999 में यह आदेश किया गया था कि अना०कं० 03 बीमा कम्पनी की ओर से अंतरिम प्रतिकर की राशि 25,000 / - रुपये जमा की गयी है जो अना०कं० 01 व 02 द्वारा कुल प्रतिकर की राशि जमा होने पर उसमें से 25000 / - रुपये की राशि तथा दि० 04.07.1996 से उक्त 25000 / - रुपये की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि अना०कं० 03 बीमा कम्पनी को देय होगी। इस प्रकार बीमा कम्पनी के द्वारा अना०कं० 01 सतीश गुप्ता एवं अना०कं० 02 हरीओम से उक्त 25000 / - रुपये की राशि उक्त ब्याज की दर से ब्याज सहित वसूल किया जाना है। इस प्रकार यह वसूली का प्रकरण होकर इजरा का ही प्रकरण होना प्रतीत होता है अतः इस प्रकरण को एम०जे०सी० से निरस्त करके इजरा प्रकरण के रूप में दर्ज किया जावे। प्रकरण पुनः पेश हो। (मोहम्मद अजहर) द्वितीय सदस्य, मोटरदुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड</p> <p>पुनश्च:- प्र०कं० 03 / 18 इजरा एम०जे०सी० यह प्रकरण एम०जे०सी० से निरस्त होकर इजरा के रूप में दर्ज किया गया। आवेदक/डिक्रीदार की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश धारा 39 जा० दी० का प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि वाहनस्वामी सतीश गुप्ता पोरसा जिला मुरैना में निवास करते हैं और उनकी सम्पत्ति</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p> मुरैना जिले में ही है। इस इजरा को वसूली हेतु जिला न्यायालय मुरैना में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। </p> <p> सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन किये जाने से स्पष्ट है कि सतीश गुप्ता पुत्र रामविलास निवासी भिण्ड रोड, पोरसा जिला मुरैना वाहन मालिक है। जिनसे उक्त राशि वसूल की जाना है। अतः ऐसी स्थिति में इस इजरा को जिला न्यायालय मुरैना की ओर वसूली हेतु भेजा जाना न्यायोचित है। </p> <p> अतः विहित प्रोफार्मे पर आदेश एवं प्रमाण पत्र आदि तैयार किये जाकर जिला न्यायालय मुरैना के लिए भेजे जावे। जिसके साथ असल इजरा आवेदन, अधिनिर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी जावे। इस इजरा के अभिलेख के साथ इजरा आवेदन की फोटोकॉपी, वकालतनामा तथा अधिनिर्णय/डिक्री की फोटोकॉपी एवं आवेदन अंतर्गत धारा 39 जा0दी0 असल संलग्न किया जावे। </p> <p> प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। </p> <p style="text-align: center;"> (मोहम्मद अजहर) द्वितीय सदस्य, मोटरदुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड </p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)